पत्र सं0–उ0स्त0स0/सा0प्र0–01/2015–सा0प्र0– 44

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव–सह–
सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव

पटना–15, दिनांक: 20 सितम्बर, 2018

विषयः– बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्रदत्त डेटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा के संदर्भ में सभी विभागों से परामर्श प्राप्त करने हेतु।

महाशय,

उच्च स्तरीय समिति ने अपने प्रतिवेदन में बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्रदाता से प्राप्त डेटा एंट्री ऑपरेटरों के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसा दी हैः–

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि डेटा एंटी ऑपरेटर सरकार के प्रायः सभी विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजनाओं, निगमों, प्राधिकारों आदि सभी संस्थानों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। वास्तव में अब चूँकि टंकक नहीं रह गये हैं, अतः टंकण का सारा कार्य डेटा एंट्री ऑपरेटर ही कर रहे हैं।

प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन ने वार्ता के क्रम में बताया कि लगभग 8800 डेटा एंट्री ऑपरेटर विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजनाओं, निगमों, प्राधिकारों आदि में कार्यरत हैं। इनमें लगभग आधे से अधिक स्थानों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद सृजित नहीं हैं। कार्य की महत्ता को देखते हुये बेल्ट्रॉन द्वारा वाह्य सेवा प्रदाता से प्राप्त डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध करायी गयी है।

अतः समिति की अनुशंसा है कि सरकार द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को निर्देश दिया जा सकता है कि वे टंकण की दक्षता जाँच हेतु एक संयुक्त परीक्षा आयोजित करे, जिसमें पूर्व से सरकार के विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजनाओं आदि में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटरों को उनके द्वारा जितने वर्षों के लिये कार्य किया गया है, उतने वर्षों की उम्र सीमा में छूट दी जाए एवं अधिकतम पाँच वर्षों के लिये अनुभव के आधार पर, ऊपर कंडिका 'झ' में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार, अधिमानता दी जाए तथा संयुक्त परीक्षा के आधार पर एक मेधा सूची तैयार की जाए। मेधा सूची तैयार करने में संविदा नियुक्तियों की अन्य शर्तें, यथा–आरक्षण अधिनियम आदि का अनुपालन करना होगा। इस प्रकार तैयार की गयी मेधा सूची से सभी जरूरतमंद विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजनाओं एवं अन्य संस्थानों में इनकी सेवा उपलब्ध करायी जाएगी। इस पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों/परियोजनाओं आदि में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटरों को वर्तमान में भी मानदेय दिया जा रहा है।

संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद सृजन की आवश्यकता होगी। समिति की अनुशंसा है कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता के आधार पर चयन की प्रक्रिया आरंभ की जाए। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से पदों की आवश्यकता के संबंध में आंकड़े प्राप्त कर पद सृजन का प्रस्ताव समेकित रूप से विभिन्न विभागों के लिये प्रशासी पद वर्ग समिति के समक्ष रखा जाए। प्रशासी पद वर्ग समिति द्वारा जब प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा उस समय विभिन्न विभागों के सचिव/प्रधान सचिव को उनके यहाँ कितनी रिक्तियों की आवश्यकता है, के संबंध में औचित्य देना होगा। यह व्यवस्था केवल इसलिए की जा रही है ताकि पदों के सृजन में विलम्ब न हो।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बेल्ट्रॉन से प्राप्त डेटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा विभिन्न अस्थायी परियोजनाओं/योजनाओं एवं अतिरिक्त कार्य बोझ के कारण प्राप्त की गयी है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक पाँच वर्ष पर इस बात की समीक्षा की जाए कि कितने डेटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा की आवश्यकता है। तद्नुसार, पदों का सृजन किया जा सकता है। अतः तत्काल संविदा नियुक्तियों के लिये पाँच वर्षों के लिये पदों का सृजन किया जाए। पाँच वर्ष के बाद आवश्यकतानुसार इन पदों का विस्तार आदि के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की योजना के तहत भी प्रत्येक जिलाधिकारी संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये कार्यपालक सहायक का पैनल तैयार कर उसका संधारण करते हैं। इसका एक लाभ यह है कि सभी विभागों एवं संस्थानों को आवश्यकतानुसार योग्य कार्यपालक सहायक की सेवा उपलब्ध हो जाती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की योजना के लिये भी पदों का सृजन पाँच वर्षों के लिये किया गया है।

समिति इस बात से अवगत है कि चूँकि इन कर्मियों की सेवा वाह्य सेवा प्रदाता से प्राप्त है, अतः इस तरह का प्रमाण पत्र, कि वे कितने दिन सेवा किये एवं उनका कार्य अनुभव किस प्रकार का है, देने में कठिनाई होगी। अतः समिति की अनुशंसा है कि ये कर्मी जिस कार्यालय में कार्य करते हैं, यह प्रमाण पत्र उनके कार्यालय प्रधान द्वारा दिया जाना चाहिए और अगर कार्यालय प्रधान द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाता है तो वे जितनी अवधि के लिये कार्य किये हैं, उम्र सीमा में उतने ही वर्षों की छूट दी जाएगी एवं अधिमानता भी अनुभव की अवधि के आधार पर ही दी जाएगी जैसा कि ऊपर कंडिका 'झ' में वर्णित है।

इस तरह से नियोजित डेटा एंट्री ऑपरेटरों को कंडिका– क, ख, ग, घ, च, ज, एवं त में दी गयी अनुशंसाओं का लाभ प्राप्त होगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कई परियोजनाओं/विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों/संस्थानों में अप्रत्याशित कार्य बोझ के कारण अस्थायी तौर पर डेटा एंट्री ऑपरेटरों की आवश्यकता हो सकती है, जबकि इन अतिरिक्त डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिये उनके यहाँ संविदा नियुक्ति हेतु पद सृजित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आकस्मिक प्रकृति के अतिरिक्त कार्य बोझ के लिये विभागीय सचिव/प्रधान सचिव एवं अन्य संस्थानों के लिये सक्षम प्राधिकार की अनुमति से वे अस्थायी तौर पर बेल्ट्रॉन से वाह्य सेवा शर्तों पर डेटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा ले सकते हैं। परन्तु यह अवधि किसी भी स्थिति में छः महीने से अधिक की नहीं होगी। अगर छः महीने से अधिक की आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकार को संविदा पर नियुक्ति हेतु पद सृजन की कार्रवाई करनी चाहिए, जिन पर

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा संधारित मेधा सूची से संविदा नियुक्ति हेतु डेटा एंट्री ऑपरेटर लिये जा सकें।

समिति की अनुशंसा है कि डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिये केवल बेल्ट्रॉन को सेवा प्रदाता घोषित किया जाए। यह अनुशंसा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे कार्यपालक सहायक, आई0टी0 सहायक एवं आई0टी0 प्रबंधक की व्यवस्था को किसी रूप में प्रभावित नहीं करेगी। विभाग अपनी स्वेच्छा से बेल्ट्रॉन से डेटा एंट्री ऑपरेटर अथवा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से कार्यपालक सहायक आदि कर्मियों की सेवा प्राप्त कर सकता है।

इस बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वाह्य सेवा प्रदाता से किसी कर्मी की सेवा प्राप्त करने में भी आरक्षण अधिनियम का दृढता के साथ पालन आवश्यक है।

मंत्रिमंडल ने उपर्युक्त अनुशंसा के संदर्भ में यह निर्णय लिया कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्रदत्त डेटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा सभी विभागों द्वारा ली जा रही है। अतः सभी विभागों से परामर्श करते हुए इनके संदर्भ में पुनर्विचार कर अनुशंसा समर्पित करने हेतु इस मामले को उच्च स्तरीय समिति को वापस किया जाय।

आप अवगत है कि उच्च स्तरीय समिति के कार्यकाल का विस्तार केवल तीन माह के लिये हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि उच्च स्तरीय समिति की उपर्युक्त अनुशंसा के संबंध में आपका (प्रधान सचिव/सचिव) जो भी मंतव्य है, वह लिखित अथवा उच्च स्तरीय समिति के आध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर मौखिक रूप से रखे। अगर एक माह के अंदर आपका मंतव्य प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि आपको उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी गयी अनुशंसा के संबंध में कोई मंतव्य नहीं देना है।

कृपया अपने लिखित मंतव्य की सीधी प्रति अध्यक्ष, उच्च स्तरीय समिति को भेजते हुए एक प्रतिलिपि सामान्य प्रशासन विभाग को भी भेजें।

विश्वासभाजन

(आमिर सुबहानी) 20. 9.19
सरकार के प्रधान सचिव–सह–
सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति